# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती ( आर0ए0एस0)**

राजस्व प्रकरण संख्या :– 10/2023 दर्ज दिनांक 17.01.2023

जीसीएम प्रकरण संख्या :– 2023/42

अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. कैलाशी पत्नि बद्रीलाल बन्जारा नि. टीपुनाड़ी (डेलाणा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. नानीदेवी पत्नि चम्पालाल कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पानीदेवी पत्नि सोहनलाल कुमावत निवासी टोकरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादीया

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एकपक्षीय

**:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::**

**(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)**

**:: निर्णय ::**

दिनांक :–

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 12.07.2023 के द्वारा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम रतनपुरा, पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 44 में अंकित आराजी संख्या 1050 रकबा 2.16 है0 भूमि में वादी का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड वोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2023/1333 दिनांक 13.10.2025 से पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अवगत कराया कि कैलाशी पत्नि बंशीलाल बन्जारा के 1/2 हिस्से का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक मोखुन्दा द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि वादिया का 1/2 हिस्सा किसी अन्य खातेदार को विक्रय कर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

दिया है वर्तमान में खातेदार वादी नही है जिससे विभाजन प्रस्ताव तैयार करना संभव नही है।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र पर न्यायालय द्वारा गहनता से विचार किया गया जिससे पाया कि वादपत्र में वादिया खातेदार नही होने से वाद चलने योग्य नही है।, अतः तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार वादपत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

## —:: आदेश ::—

अतः वादीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत् प्रस्तुत वादपत्र में वादिया द्वारा भूमि विक्रय करने के कारण खातेदार काश्तकार नही होने से वादपत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना—अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 3/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर